राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(27)/ग्रावि/ग्रुप–5/PMAY-G/लक्ष्य/2021–22 जयपुर, दिनांक17 अगस्त, 2021

जिला कलक्टर,
जिला समस्त।

विषयः– प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत "आवास प्लस" के माध्यम से चिन्हित परिवारों की वरीयता सूची उपरान्त आवास प्लस से चिन्हित सभी परिवारों की सूची प्रेषित करने के क्रम में।

प्रसंगः– विभागीय पत्र दिनांक 11.8.21

वर्ष 2022 तक ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत आवासहीन एवं कच्चे आवास में निवास कर रहे परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए इन्दिरा आवास योजना को सुदृढिकृत कर वर्ष 2016–17 से **प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण** योजना प्रारंभ की गई।

वर्ष 2020–21 तक SECC–2011 के आधार पर तैयार स्थाई वरीयता सूची (PWL) के लगभग शतप्रतिशत परिवारों को योजना के अंतर्गत आवास स्वीकृत किये जा चुके है शेष रहे लाभार्थियों का परिक्षण कर पात्र लाभार्थियों को 31 अगस्त, 2021 तक स्वीकृति जारी किये जाने एवं शेष अपात्र लाभार्थियों को रिमाण्ड किये जाने की कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु निर्देशित किया गया था।

इसी क्रम में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आवास सॉफ्ट पर चिन्हित पात्र परिवारों में से अपात्र परिवारों को जिले से रिमाण्ड करने के उपरान्त ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी यूजर मेन्यूल के बिन्दू संख्या 3.2 में वर्णित प्रकिया की पालना कर वरीयता सूची गाम सभा के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने हेतु डाउनलोड किये जाने के प्रासंगिक पत्र दिनांक 11.8.21 के द्वारा निर्देश प्रदान किये गये ।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार "आवास प्लस" पर अपलोड परिवारों में से दिनांक 15.8.21 को आयोजित ग्राम सभा द्वारा अनुमोदन उपरान्त वर्गवार वरीयता सूची (सूची संख्या – 1) तैयार की जानी है।

उल्लेखनीय है कि विशेष ग्राम सभाओं द्वारा SECC–2011 के आधार पर तैयार स्थाई वरीयता सूची (PWL) में शामिल होने से वंचित पात्र 23.57 लाख परिवारों की सूची ग्रामीण विकास मंत्रालय को अनुमोदन हेतु प्रेषित की गई थीं। इस क्रम में भारत सरकार के निर्देशानुसार पात्र परिवारों की सूचना "आवास प्लस" पर अपलोड करने के क्रम मे नियत अवधि तक मात्र 15.90 लाख परिवारों की सूचना ही अपलोड हो सकी। इस सबंध में जिले में ग्राम सभाओं में अनुमोदित चिन्हित पात्र परिवार जो आवास प्लस पर अपलोड होने से वंचित रह गये थे कि ही ग्राम सभा से अनुमोदित सूची (सूची संख्या – 2) पृथक से तैयार कर जिला अपिलेट कमेटी से अनुमोदन उपरान्त प्रेषित की जावे।

उक्तानुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय स्तर से आवास प्लस में अपलोड किये गये 15.90 लाख परिवारों में से परिवारों के नाम "आवास प्लस " सूची में से हटाये गये है, उक्त संबंध में

सूचना अपलोड करने में अथवा अन्य तकनीकी कारणों से नाम हटने के संबंध में लाभार्थिवार परीक्षण कराकर पात्र परिवारों की ग्राम पंचायतवार, वर्गवार सूची (सूची संख्या – 3) पृथक से तकनीकी कारण/अन्य कारणों का स्पष्ट उल्लेखित कर निर्धारित प्रकियानुसार अनुमोदन कराकर जिला अपिलेट कमेटी की अनुशंषा के साथ सूची पृथक से प्रेषित की जावे।

अतः पुनः निर्देश है कि SECC–2011 के आधार पर तैयार स्थाई वरीयता सूची (PWL) में शामिल होने से वंचित पात्र परिवार जिन्हे विशेष ग्राम सभाओं से अनुमोदन उपरान्त चिन्हिकरण कराकर लाभार्थियो की ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित सूची का "आवास प्लस " पर प्रदर्शित सूची के परिपेक्ष्य में लाभार्थीवार ग्राम सभाओं से अनुमोदन उपरान्त उक्तानुसार वर्णित सूची संख्या 1,2,3 विभाग को दिनांक 25.8.2021 तक प्रेषित करना सुनिश्चित करे।

(अपर्णा अरोरा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
2. निजी सचिव शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त।
5. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

अधीक्षण अभियंता, ग्रावि